


## कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा /प्रार/ नियु-2 /982 /शि.भर्ती-2018 /ले-गा/ अंग्रेजी/18 दिनांक :-31/07/2018  
**गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP AREA) हेतु अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी की सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति**  
विज्ञापन संख्या -01/2018

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी के 9446 पदों हेतु निम्नानुसार ऑन लाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	पदनाम	पद संख्या	आयु	वेतनमान
1	तृतीय श्रेणी अध्यापक सामान्य शिक्षा-लेवल द्वितीय अंग्रेजी	9178	दिनांक 01-01-2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए	रा. सि. से. पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 की पै-मैट्रिक्स के लेवल 10 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षु के रूप में रु. 23700/- नियत पारिश्रमिक
2	तृतीय श्रेणी अध्यापक विशेष शिक्षा – लेवल द्वितीय अंग्रेजी	268		

- 1 आवेदन करने की अवधि – दिनांक 03.08.2018 से दिनांक 23.08.2018 के रात्रि 12:00 बजे तक
- 2 इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में विभागीय वेबसाइट [www.education.rajasthan.gov.in/elementary](http://www.education.rajasthan.gov.in/elementary) & <http://recruitment.rajasthan.gov.in> पर SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 3 उक्त विज्ञापित पदों में नियमानुसार आरक्षण एवं अधिकतम आयुसीमा में छूट देय होगी, ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ वर्गवार वर्गीकरण के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग के लिये कोई पद आरक्षित नहीं है तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा, विवरण विस्तृत विज्ञप्ति में अंकित है।
- 4 गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP AREA) के विज्ञापित पदों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु राजस्थान राज्य के क्रीमीलेयर तथा अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- 5 आवेदन पत्र ऑन-लाईन अन्तिम रूप से SUBMIT करने के पश्चात आवेदन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (Editing) अनुशेय नहीं होगा।
- 6 ऑन-लाईन आवेदन से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति, पंचायती राज नियम एवं एनसीटीई की अधिसूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
- 7 आवेदन शुल्क
  - (1) राजस्थान राज्य के सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग व राज्य के बाहर के आवेदकों हेतु – रु. 100/-
  - (2) नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – रु. 70/-
  - (3) अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक हेतु – रु. 60/-
- नोट: उक्त निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 8 अभ्यर्थी ऑन-लाईन आवेदन अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि ई-मित्र, जन सुविधा केन्द्र, स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई हैं। त्रुटि पूर्ण एवं असत्य/अपूर्ण प्रविष्टियों के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। गलत सूचनाएं अंकित करने एवं कुटरचित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- 9 उक्त विज्ञापित पदों में कर्मी/वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतन्त्र रहेगा, जिसके लिये अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी।
- 10 आवेदक अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा हेल्प लाईन नम्बर 0151-2207047 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

  
निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :— शिविरा/प्रार/नियु प्रको/नियु-२/१९८२/शि.भर्ती-२०१८/ले-ग/हिन्दी/१८

दिनांक :— ३१/०७/२०१८

गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP AREA) हेतु अध्यापक लेवल द्वितीय हिन्दी की सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या —०३/२०१८

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, १९९४ एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम १९९६ के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती २०१८ के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय हिन्दी के ४९०० पदों हेतु निमानुसार ऑन लाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं :—

क्र. सं.	पदनाम	पद संख्या	आयु	वेतनमान
१	तृतीय श्रेणी अध्यापक सामान्य शिक्षा—लेवल द्वितीय हिन्दी	४७६२	दिनांक ०१-०१-२०१९ को न्यूनतम १८ वर्ष एवं ४० वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए	रा. सि. से. पुनरीक्षित वेतनमान, २०१७ की पै-मैट्रिक्स के लेवल १० के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षण के रूप में रु. २३७००/- नियत पारिश्रमिक
२	तृतीय श्रेणी अध्यापक विशेष शिक्षा — लेवल द्वितीय हिन्दी	१३८		

- १ आवेदन करने की अवधि — दिनांक ०३.०८.२०१८ से दिनांक २३.०८.२०१८ के रात्रि १२:०० बजे तक
- २ इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में विभागीय वेबसाइट [www.education.rajasthan.gov.in/elementary](http://www.education.rajasthan.gov.in/elementary) & <http://recruitment.rajasthan.gov.in> पर SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- ३ उक्त विज्ञापित पदों में नियमानुसार आरक्षण एवं अधिकतम आयुसीमा में छूट देय होगी, ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ वर्गवार वर्गीकरण के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग के लिये कोई पद आरक्षित नहीं है तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा, विवरण विस्तृत विज्ञप्ति में अंकित है।
- ४ गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP AREA) के विज्ञापित पदों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवारी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु राजस्थान राज्य के क्रीमीलेयर तथा अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- ५ आवेदन पत्र ऑन-लाईन अन्तिम रूप से SUBMIT करने के पश्चात आवेदन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (Editing) अनुशङ्ग नहीं होगा।
- ६ ऑन-लाईन आवेदन से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति, पंचायती राज नियम एवं एनसीटीई की अधिसूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
- ७ आवेदन शुल्क
  - (१) राजस्थान राज्य के सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग व राज्य के बाहर के आवेदकों हेतु — रु. १००/-
  - (२) नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु — रु. ७०/-
  - (३) अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक हेतु — रु. ६०/-

नोट: उक्त निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- ८ अभ्यर्थी ऑन-लाईन आवेदन अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि ई-मित्र, जन सुविधा केन्द्र, स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई हैं। त्रुटि पूर्ण एवं असत्य/अपूर्ण प्रविष्टियों के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। गलत सूचनाएं अंकित करने एवं कुटरचित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- ९ उक्त विज्ञापित पदों में कमी/वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतन्त्र रहेगा, जिसके लिये अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी।
- १० आवेदक अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः ०९:३० से सायं ०६:०० बजे तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पर व्यवितरण रूप से अथवा हेल्प लाईन नम्बर ०१५१-२२०७०४७ पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :— शिविरा/प्रार/नियु प्रको/नियु-2/982/शि.भर्ती-2018/ले-गा/वि.ग./18

दिनांक :— 31.07.2018


गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP AREA) हेतु अध्यापक लेवल द्वितीय विज्ञान और गणित की सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति विज्ञापन संख्या -05/2018

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय विज्ञान और गणित के 5900 पदों हेतु निम्नानुसार ऑन लाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं :—

क्र. सं.	पदनाम	पद संख्या	आयु	वेतनमान
1	तृतीय श्रेणी अध्यापक सामान्य शिक्षा—लेवल द्वितीय विज्ञान और गणित	5728	दिनांक 01-01-2019 को चूनतम 18 वर्ष एवं 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए	रा. सि. से. पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 की पै-मैट्रिक्स के लेवल 10 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षा के रूप में रु. 23700/- नियत पारिश्रमिक
2	तृतीय श्रेणी अध्यापक विशेष शिक्षा — लेवल द्वितीय विज्ञान और गणित	172		

- 1 आवेदन करने की अवधि — दिनांक 03.08.2018 से दिनांक 23.08.2018 के रात्रि 12:00 बजे तक
- 2 इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में विभागीय वेबसाइट [www.education.rajasthan.gov.in/elementary](http://www.education.rajasthan.gov.in/elementary) & <http://recruitment.rajasthan.gov.in> पर SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 3 उक्त विज्ञापित पदों में नियमानुसार आरक्षण एवं अधिकतम आयुसीमा में छूट देय होगी, ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ वर्गवार वर्गीकरण के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग के लिये कोई पद आरक्षित नहीं है तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा, विवरण विस्तृत विज्ञप्ति में अंकित है।
- 4 गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP AREA) के विज्ञापित पदों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु राजस्थान राज्य के क्रीमीलेयर तथा अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- 5 आवेदन पत्र ऑन-लाइन अन्तिम रूप से SUBMIT करने के पश्चात आवेदन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (Editing) अनुज्ञेय नहीं होगा।
- 6 ऑन-लाइन आवेदन से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति, पंचायती राज नियम एवं एनसीटीई की अधिसूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
- 7 आवेदन शुल्क
  - (1) राजस्थान राज्य के सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग व राज्य के बाहर के आवेदकों हेतु — रु. 100/-
  - (2) नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु — रु. 70/-
  - (3) अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक हेतु — रु. 60/-

नोट: उक्त निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पर विवार नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 8 अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि ई-मित्र, जन सुविधा केन्द्र, रवयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई हैं। त्रुटि पूर्ण एवं असत्य/अपूर्ण प्रविष्टियों के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। गलत सूचनाएं अंकित करने एवं कुटरचित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- 9 उक्त विज्ञापित पदों में कर्मी/वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतन्त्र रहेगा, जिसके लिये अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी।
- 10 आवेदक अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा हेल्प लाइन नम्बर 0151-2207047 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

  
निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :— शिविरा /प्रार/ नियु प्रको/ नियु-२/ १९८२/ शि. भर्ती-२०१८/ ले-ा/ सा.अ./ १८


दिनांक :— ३१.०७.२०१८

गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP AREA) हेतु अध्यापक लेवल द्वितीय सामाजिक अध्ययन की सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति विज्ञापन संख्या —०७/ २०१८

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, १९९४ एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम १९९६ के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती २०१८ के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय सामाजिक अध्ययन के २९०० पदों हेतु निम्नानुसार ऑन लाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं :—

क्र. सं.	पदनाम	पद संख्या	आयु	वेतनमान
१	तृतीय श्रेणी अध्यापक सामान्य शिक्षा—लेवल द्वितीय सामाजिक अध्ययन	२८००	दिनांक ०१-०१-२०१९ को न्यूनतम १८ वर्ष एवं ४० वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए	रा. सि. से. पुनरीक्षित वेतनमान, २०१७ की पै-मैट्रिक्स के लेवल १० के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षा के रूप में रु. २३७००/- नियत पारिश्रमिक
२	तृतीय श्रेणी अध्यापक विशेष शिक्षा — लेवल द्वितीय सामाजिक अध्ययन	१००		

- १ आवेदन करने की अवधि — दिनांक ०३.०८.२०१८ से दिनांक २३.०८.२०१८ के रात्रि १२:०० बजे तक
  - २ इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में विभागीय वेबसाइट [www.education.rajasthan.gov.in/elementary](http://www.education.rajasthan.gov.in/elementary) & <http://recruitment.rajasthan.gov.in> पर SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  - ३ उक्त विज्ञापित पदों में नियमानुसार आरक्षण एवं अधिकतम आयुसीमा में छूट देय होगी, ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ वर्गवार वर्गीकरण के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग के लिये कोई पद आरक्षित नहीं है तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा, विवरण विस्तृत विज्ञप्ति में अंकित है।
  - ४ गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP AREA) के विज्ञापित पदों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु राजस्थान राज्य के क्रीमीलेयर तथा अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
  - ५ आवेदन पत्र ऑन-लाईन अन्तिम रूप से SUBMIT करने के पश्चात आवेदन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (Editing) अनुज्ञेय नहीं होगा।
  - ६ ऑन-लाईन आवेदन से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति, पंचायती राज नियम एवं एनसीटीई की अधिसूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
  - ७ आवेदन शुल्क
    - (१) राजस्थान राज्य के सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग व राज्य के बाहर के आवेदकों हेतु
    - (२) नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु
    - (३) अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक हेतु
- नोट: उक्त निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- ८ अभ्यर्थी ऑन-लाईन आवेदन अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि ई-मित्र, जन सुविधा केन्द्र, स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई हैं। त्रुटि पूर्ण एवं असत्य/अपूर्ण प्रविष्टियों के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अभ्यर्थी का आवेदन अर्वीकार कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। गलत सूचनाएं अंकित करने एवं कुटरचित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
  - ९ उक्त विज्ञापित पदों में कर्मी/वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतन्त्र रहेगा, जिसके लिये अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी।
  - १० आवेदक अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः ०९:३० से सायं ०६:०० बजे तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा हेल्प लाईन नम्बर ०१५१-२२०७०४७ पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

  
 निदेशक,  
 प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर


क्रमांक :- शिविरा/प्रार/नियु प्रको/नियु-2/982/शि.भर्ती-2018/ले-गा/संस्कृत/18 दिनांक :-31.07.2018

गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP AREA) हेतु अध्यापक लेवल द्वितीय संस्कृत की सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति  
विज्ञापन संख्या -09/2018

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय संस्कृत के 623 पदों हेतु निम्नानुसार ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	पदनाम	पद संख्या	आयु	वेतनमान
1	तृतीय श्रेणी अध्यापक सामान्य शिक्षा-लेवल द्वितीय संस्कृत	623	दिनांक 01-01-2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए	रा. सि. से. पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 की पै-मैट्रिक्स के लेवल 10 के अनुसार परिवेश प्रशिक्षु के रूप में रु. 23700/- नियत पारिश्रमिक

- 1 आवेदन करने की अवधि – दिनांक 03.08.2018 से दिनांक 23.08.2018 के रात्रि 12:00 बजे तक
- 2 इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में विभागीय वेबसाइट [www.education.rajasthan.gov.in/elementary](http://www.education.rajasthan.gov.in/elementary) & <http://recruitment.rajasthan.gov.in> पर SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 3 उक्त विज्ञापित पदों में नियमानुसार आरक्षण एवं अधिकतम आयुसीमा में छूट देय होगी, ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ वर्गवार वर्गीकरण के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग के लिये कोई पद आरक्षित नहीं है तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा, विवरण विस्तृत विज्ञप्ति में अंकित है।
- 4 गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP AREA) के विज्ञापित पदों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु राजस्थान राज्य के क्रीमीलेयर तथा अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- 5 आवेदन पत्र ऑन-लाईन अन्तिम रूप से SUBMIT करने के पश्चात आवेदन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (Editing) अनुज्ञेय नहीं होगा।
- 6 ऑन-लाईन आवेदन से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति, पंचायती राज नियम एवं एनसीटीई की अधिसूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
- 7 आवेदन शुल्क
  - (1) राजस्थान राज्य के सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग व राज्य के बाहर के आवेदकों हेतु - रु. 100/-
  - (2) नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रु. 70/-
  - (3) अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक हेतु - रु. 60/-
- नोट: उक्त निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 8 अभ्यर्थी ऑन-लाईन आवेदन अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि ई-मित्र, जन सुविधा केन्द्र, स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई हैं। त्रुटि पूर्ण एवं असत्य/अपूर्ण प्रविष्टियों के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। गलत सूचनाएं अंकित करने एवं कुटरचित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- 9 उक्त विज्ञापित पदों में कर्मी/वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतन्त्र रहेगा, जिसके लिये अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी।
- 10 आवेदक अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पर व्यवितागत रूप से अथवा हेल्प लाईन नंबर 0151-2207047 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

  
निदेशक, बीकानेर  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/प्रार/नियु प्रको/नियु-2/982/शि.भर्ती-2018/ले-गा/सिंधी/18


दिनांक :- 31.07.2018

गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP AREA) हेतु अध्यापक लेवल द्वितीय सिंधी की सीधी भर्ती हेतु विज्ञाप्ति  
विज्ञापन संख्या -11/2018

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय सिंधी के 55 पदों हेतु निम्नानुसार ऑन लाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं :-

क्र. स.	पदनाम	पद संख्या	आयु	वेतनमान
1	तृतीय श्रेणी अध्यापक सामान्य शिक्षा-लेवल द्वितीय सिंधी	55	दिनांक 01-01-2019 को चूनतम 18 वर्ष एवं 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए	रा. सि. से. पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 की पै-मैट्रिक्स के लेवल 10 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षु के रूप में रु. 23700/- नियत पारिश्रमिक

- 1 आवेदन करने की अवधि – दिनांक 03.08.2018 से दिनांक 23.08.2018 के रात्रि 12:00 बजे तक
- 2 इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में विभागीय वेबसाइट [www.education.rajasthan.gov.in/elementary](http://www.education.rajasthan.gov.in/elementary) & <http://recruitment.rajasthan.gov.in> पर SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञाप्ति तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 3 उक्त विज्ञापित पदों में नियमानुसार आरक्षण एवं अधिकतम आयुसीमा में छूट देय होगी, ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ वर्गवार वर्गीकरण के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग के लिये कोई पद आरक्षित नहीं है तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा, विवरण विस्तृत विज्ञाप्ति में अंकित है।
- 4 गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP AREA) के विज्ञापित पदों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवारी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु राजस्थान राज्य के क्रीमीलेयर तथा अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- 5 आवेदन पत्र ऑन-लाईन अन्तिम रूप से SUBMIT करने के पश्चात आवेदन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (Editing) अनुज्ञेय नहीं होगा।
- 6 ऑन-लाईन आवेदन से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञाप्ति, पंचायती राज नियम एवं एनसीटीई की अधिसूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
- 7 आवेदन शुल्क
  - (1) राजस्थान राज्य के सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग व राज्य के बाहर के आवेदकों हेतु - रु. 100/-
  - (2) नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रु. 70/-
  - (3) अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक हेतु - रु. 60/-
- नोट: उक्त निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 8 अभ्यर्थी ऑन-लाईन आवेदन अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेये कि ई-मिक्र, जन सुविधा केन्द्र, स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई हैं। त्रुटि पूर्ण एवं असत्य/अपूर्ण प्रविष्टियों के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। गलत सूचनाएं अंकित करने एवं कुट्रवित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- 9 उक्त विज्ञापित पदों में कर्मी/वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतन्त्र रहेगा, जिसके लिये अलग से विज्ञाप्ति जारी नहीं की जायेगी।
- 10 आवेदक अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा हेल्प लाईन नम्बर 0151-2207047 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

  
 निदेशक  
 प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/प्रार/नियु प्रको/नियु-2/982/शि.भर्ती-2018/ले-ा/उर्दू/18

दिनांक :- 31.07.2018


गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP AREA) हेतु अध्यापक लेवल द्वितीय उर्दू की सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या -12/2018

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय उर्दू के 125 पदों हेतु निम्नानुसार ३०८ लाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं :-

क्र. सं.	पदनाम	पद संख्या	आयु	वेतनमान
1	तृतीय श्रेणी अध्यापक सामान्य शिक्षा-लेवल द्वितीय उर्दू	125	दिनांक 01-01-2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए	रा. सि. से. पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 की पै-मैट्रिक्स के लेवल 10 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षा के रूप में रु. 23700/- नियत परिश्रमिक

- 1 आवेदन करने की अवधि – दिनांक 03.08.2018 से दिनांक 23.08.2018 के रात्रि 12:00 बजे तक
- 2 इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में विभागीय वेबसाइट [www.education.rajasthan.gov.in/elementary](http://www.education.rajasthan.gov.in/elementary) & <http://recruitment.rajasthan.gov.in> पर SSO ID के माध्यम से ३०८ लाईन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 3 उक्त विज्ञापित पदों में नियमानुसार आरक्षण एवं अधिकतम आयुसीमा में छूट देय होगी, ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ वर्गवार वर्गीकरण के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग के लिये कोई पद आरक्षित नहीं है तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयुसीमा में तत्संबंधी छूट का लाभ देय नहीं होगा, विवरण विस्तृत विज्ञप्ति में अंकित है।
- 4 गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP AREA) के विज्ञापित पदों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु राजस्थान राज्य के क्रीमीलेयर तथा अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- 5 आवेदन पत्र ३०८ लाईन अन्तिम रूप से SUBMIT करने के पश्चात आवेदन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (Editing) अनुज्ञेय नहीं होगा।
- 6 ३०८ लाईन आवेदन से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति, पंचायती राज नियम एवं एनसीटीई की अधिसूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
- 7 आवेदन शुल्क
  - (1) राजस्थान राज्य के सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग व राज्य के बाहर के आवेदकों हेतु - रु. 100/-
  - (2) नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रु. 70/-
  - (3) अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक हेतु - रु. 60/-
- नोट: उक्त निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 8 अभ्यर्थी ३०८ लाईन आवेदन अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि ई-मित्र, जन सुविधा केन्द्र, रघवं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई हैं। त्रुटि पूर्ण एवं असत्य/अपूर्ण प्रविष्टियों के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। गलत सूचनाएं अंकित करने एवं कुटरचित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- 9 उक्त विज्ञापित पदों में कर्मी/वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतन्त्र रहेगा, जिसके लिये अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी।
- 10 आवेदक अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा हेल्प लाईन नम्बर 0151-2207047 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

  
 निदेशक  
 प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर